

ई-मेल:- fdpilibhit@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत
पत्रांक 1141, पीलीभीत, दिनांक- 20/01/2022
(बनकटी रोड, पीलीभीत- 262001)

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

| | |
|-----------|--|
| विषय - | जनपद- पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग (रद्दैता-पीलीभीत सैक्षण के 731K किमी0 137.250 से किमी0 183.380 (पैकेज- VI) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.376 है0 के गैर वानिकी प्रयोग एवं 26427 बाधक वृक्षों की पातन अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या- FP/UP/ROAD/ 49626/2020 |
| सन्दर्भ - | प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत के कार्यालय का पत्रांक 2327 / 15-1 दिनांक- 14.01.2022 |

महोदय,

सानुरोध अवगत कराना है कि जनपद- पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग (रद्दैता-पीलीभीत सैक्षण के 731K किमी0 137.250 से किमी0 183.380 (पैकेज- VI) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.376 है0 के गैर वानिकी प्रयोग एवं 26427 बाधक वृक्षों की पातन अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या- FP/UP/ROAD/ 49626/2020 प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत के कार्यालय से उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रस्ताव 04 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव में संलग्न रोड के टिपिकल क्रास सेक्षण (TCS) के अनुसार प्रस्तावित रोड की चौड़ाई 20 मी0 है, अर्थात् मध्य से दोनों तरफ 10-10 मी0 भूमि रोड निर्माण हेतु उपलब्ध है। इसमें रोड के मध्य से 3.5 मी0 चौड़ाई में पूर्व से ही BC (विटमिनस कंक्रीट) उपलब्ध है जिसे 1.5 मी0 चौड़ा कर रोड के मध्य से 5.00 मी0 BC तक निर्माण करना है। इसके बाद 2.00 मी0 फुटपाथ बनाना है। इसके बाद भी मध्य से 3.00 मी0 रोड बिजली लाइन आदि अन्य कार्यों हेतु छोड़ना है। मेरे विचार से यदि दोनों तरफ इस 3.00 मी0 अन्य कार्यों हेतु छोड़ी गयी भूमि को मात्र 1.50 मी0 कर दिया जाये तो दोनों तरफ कटने वाले वृक्षों की एक पंक्ति को बचाया जा सकता है। इससे वृक्षों के पातन की संख्या लगभग 20 प्रतिशत कम हो जायेगी क्योंकि अभी चार पंक्ति के वृक्षों का पातन किया जा रहा है।

अतः उक्त प्रस्ताव को इस अनुरोध के साथ संस्तुति सहित 03 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जा रहा है कि अन्य कार्यों हेतु दोनों तरफ प्रस्तावित 3.00 मी0 चौड़ी पटरी को दोनों तरफ मात्र 1.5 मी0 ही रखा जाये जिससे एक पंक्ति के वृक्षों को पातन होने से बचाया जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(जावेद अख्तर)

मुख्य वन संरक्षक,
प्रभागीय वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर
पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।

पत्रांक 1373 / अ-दिनांकित।

प्रतिलिपि— वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, बरेली वृत्त बरेली को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर से ऑनलाइन करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि— प्रभागीय निदेशक, साठवाठ प्रभाग, पीलीभीत को उनके कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, बरेली वृत्त बरेली के कार्यालय से ऑनलाइन कराते हुए प्रस्ताव की 03 प्रतियों मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उठोप्रो लखनऊ के कार्यालय में विशेष पत्रवाहक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— यथोपरि।



(जावेद अख्तर)

20-1-22

मुख्य वन संरक्षक,

प्रभागी वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर

पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।

प्रताव की तीन खुले प्रतीका प्राप्त की।

Sonu gupta consttant

chaitanya Project consultancy ,

27/01/22

Mo ⇒ 9170837371